पंजाब राज्य और अन्य (ए. जी. मसीह, जे.) **अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल द्वारा आगे की जांच के लिए एक कदम के रूप में स्वीकार किया था ताकि संस्करण की गहराई से जांच की जा सके पहले से ही धारा 307, 353, 509, 186, 511, और 149 के तहत एफ.आई.आर दर्ज की गई है धारा 173 सी.आर.पी.सी. के तहत रिपोर्ट जल्द से जल्द दायर हो।**

महेश ग्रोवर और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के समक्ष, जे. जे.

विश्व मानव अधिकार संरक्षण परिषद, चंडीगढ़ याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण, 2007 का सी. डब्ल्यू. पी. No.16416

11 जनवरी, 2019

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका-पंजाब पुलिस द्वारा आतंक, उत्पीड़न और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के कारण एक परिवार के चार लोगों की आत्मदाह से मौत-पुलिस जांच ने इसे बिना किसी उकसावे के आत्महत्या का मामला करार दिया-सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच का आदेश-सबूतों के आधार पर जांच ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक को आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण परेशान किया गया था-उन्हें गलत तरीके से भगौडा अपराधी घोषित किया गया था-पड़ोसी की दीवार पर चढ़कर अंधेरे में छापा मारा गया-जब मृतक को दुर्घटनावश आग लग गई, तो पुलिस दल अपना कर्तव्य निभाने के बजाय मौके से भाग गया-और इसे आत्मदाह का मामला पेश करने और पुलिस दल को जिंदा जलाने का प्रयास करने के लिए मनगढ़ंत सबूत बनाए। माना गया कि घटना कैसे हुई, इसके दो अलग–2 संस्करण थे। गवाहों दस्तविजी चिकित्सा फोरसिक और परिस्थिति जांच साक्ष्यो पर गौर करने की आवश्यता है। जांच रिपोर्ट को प्रथम दृष्या, एक वरिष्ठ अधिकारी की माना जाता है कि

मृतक गुरजंत सिंह के घर में 29.02.2007 पर हुई घटना, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी, को स्वीकार किया जाता है।हालाँकि, यह कैसे हुआ, इसके दो अलग-अलग संस्करण हैं। एक पुलिस का और दूसरा पीड़ितों **की** बेटियों/बहनों **और पडोसियों** का है। ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पुलिस को अपने बयान दिए हैं और जांच के दौरान दस्तावेजी, चिकित्सा, फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिन पर आगे गौर किया जाना चाहिए क्योंकि जांच के दौरान कुछ और सबूत आए हैं जो तब उपलब्ध नहीं थे जब पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), फतेहगढ़ साहिब ने मामले की जांच की थी।सभी शंकाओं को दूर करना होगा ताकि सच्चाई की जीत हो सके।
250
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
2019(1)

(पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 6/7/2009 के आदेश द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट **दिनांक 21/11/2009** को प्रथम दृष्टया मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की जांच के लिए एक कदम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।चूंकि इस घटना के बारे में पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो में भारतीय दंड संहिता की धारा 307,353,509,186,511 और 149 के तहत दर्ज की गई है, इसलिए इसमें दर्ज किए गए संस्करण की गहराई से जांच की जानी चाहिए और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब द्वारा गठित एक वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी की अध्यक्षता

में एक विशेष जांच दल द्वारा ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट **दिनांक 21/12/2009** के आलोक में ठीक से जांच की जानी चाहिए। (पैरा 15)

रंजन लखनपाल और शालिनी वर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

सुवीर श्योकंद, ए. ए. जी., पंजाब।पवन गिरधर, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 7 के लिए।

दीपिंदर सिंह बरार, प्रतिवादीगण संख्या 8,9,11 और 15 के लिए अधिवक्ता। गुरिंदर सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के लिए No.10,12 से 14।

ऑगुस्टिन जॉर्ज मसीह, ज।

(1) यह जनहित याचिका एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें चार व्यक्तियों स्वर्गीय श्री गुरजंत सिंह पुत्र जांगीर सिंह, उनकी पत्नी जसवीर कौर और दो बेटियों बेअंत कौर और वीरपाल कौर की जलने से मौत हो गई है, जब पुलिस दल के गाँव बेहमान जस्सा सिंह वाला, पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो, बठिंडा में अपने घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचने पर खुद को आग लगा लेते हैं। प्राथमिक आरोप पुलिस आतंक, उत्पीड़न और अत्यधिक बल प्रयोग का है जिसके कारण इन व्यक्तियों द्वारा आत्मदाह का यह चरम कदम उठाया गया जो पंजाब पुलिस की मनमानी का परिणाम है और पुलिस बल के अधिकारियों की भागीदारी के कारण पूरी घटना को दबाने के प्रयास किए जा रहे थे।

(2) नोटिस जारी होने पर, पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), फतेहगढ़ साहिब द्वारा घटना की जांच रिपोर्ट, अदालत में दायर की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि यह पुलिस दल की ओर से बिना किसी उकसावे के आत्महत्या की घटना है, जो गुरजंत सिंह और उनकी बेटी वीरपाल कौर को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंचा था, जिन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 और पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 307 में **भगौडा** घोषित किया गया था।

(3) पक्षों द्वारा की गई दलीलों के आधार पर और दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने दिनांक 6/7/2009 के आदेश के माध्यम से तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, बठिंडा को स्वर्गीय श्री गुरजंत सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया।

(4) इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, तत्कालीन जिला और सत्र न्यायाधीश, बठिंडा द्वारा दिनांकित 21.11.2009 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।जिसकी प्रतियां राज्य के वकील के साथ-साथ याचिकाकर्ता को इस रिपोर्ट के साथ दस्तावेजों के साथ प्रदान की गई थीं।दलों को उक्त रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसे राज्य द्वारा 13.01.2011 पर प्रस्तुत किया गया था।

(5) इस बीच, मृतक गुरजंत सिंह की तीन जीवित बेटियों, यानी कि हरदिप कौर, रामपाल कौर और सुखपाल कौर ने रिट याचिका में प्रतिवादीगण के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे इस अदालत ने 13.01.2011 पर अनुमति दी थी

और उन्हें क्रमशः 4 से 6 प्रतिवादीगण के रूप में शामिल किया गया था।

(6) पक्षकारों के वकीलों की विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई, निर्णय सुरक्षित रखा गया और उसके बाद दिनांक 20.03.2012 का एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत इस अदालत ने कहा कि तत्कालीन जिला और सत्र न्यायाधीश, बठिंडा की दिनांकित 21.11.2009 की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अपराध नौ पुलिस अधिकारियों-इंस्पेक्टर मोहिंदर कुमार घई, तत्कालीन एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो, ए. एस. आई अमृतपाल सिंह, ए. एस. आई. गुरजंत सिंह, एस. पी. ओ. काका सिंह, एच. सी. मंदर सिंह, एच. सी. सुरजीत सिंह, एच. सी. मेजर सिंह, पी. एच. जी. अमरीक सिंह और एच. सी. मोहिंदर सिंह द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है, और उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करने के मामले में, इन व्यक्तियों के आदेश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी और इसलिए, अवसर। इन पुलिस अधिकारियों को 7 से 15 प्रतिवादीगण के रूप में शामिल किया गया और इन प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए।दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट की प्रति और 252

मामले में पूरी दलीलें नोटिस के साथ इन प्रतिवादीगण को भेजने का आदेश दिया गया था।

(7) इन अतिरिक्त प्रतिवादीगण सहित पक्षों द्वारा जवाब/प्रतिक्रियाएं दायर की गई हैं।

(8) आगे बढ़ने से पहले, हमें दिनांकित 21.11.2009 जांच रिपोर्ट को देखने की आवश्यकता है, जैसा कि तत्कालीन विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, बठिंडा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर निष्कर्ष के अनुसार, गुरजंत सिंह और उनकी बेटी वीरपाल कौर को 2005 की प्राथमिकी दर्ज करने के कारण परेशान किया गया था। पुलिस द्वारा तथ्यों का सत्यापन नहीं किया गया, बल्कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बार-बार जाने के संबंध में फर्जी प्रविष्टियां की गईं, जबकि वे कभी भी गुरजंत सिंह और उनकी बेटी वीरपाल कौर को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर नहीं गए थे, जिसके कारण उन्हें **भगौडा** घोषित किया गया था।छापा मारने वाले दल का नेतृत्व एएसआई अमृतपाल सिंह और इंस्पेक्टर मोहिंदर कुमार घई, तत्कालीन एसएचओ, पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो-उत्तरदाता क्रमशः 8 और 7 कर रहे हैं।उन्होंने सुखदेव सिंह फौजी की सीढ़ियाँ चढ़कर चारदीवारी पार की थी और गुरजंत सिंह के घर की बिजली की आपूर्ति काट दी थी।घर में प्रवेश करने पर गुरजंत सिंह पर बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे परिवार के साथ-साथ उन्होंने खुद भी पुलिस दल को डराने के लिए खुद पर कुछ मिट्टी का तेल लगा दिया और शायद माचिस की छड़ी जला दी, लेकिन पीड़ितों में से एक को आग लग गई।एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में, उन सभी में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप आग की लपटें तेज हो गईं, जिसे पड़ोसियों ने देखा।पीड़ित मदद के लिए चिल्लाया लेकिन पुलिस दल आग बुझाने और अपना कर्तव्य निभाने के बजाय मौके से भाग गया।पड़ोसियों और अन्य लोगों ने आग को बुझाने में

मदद की, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को जलने से चोटें आईं। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि आत्मदाह और पुलिस दल को जिंदा जलाने के लिए मिट्टी के तेल के चार कंटेनर और पेट्रोल का एक कंटेनर लगाकर मौके पर सबूत बनाए गए थे, जबकि गुरजंत सिंह के घर में केवल एक कंटेनर उपलब्ध था। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा रामपाल कौर के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में संदर्भ दिया गया है और आगे कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा सहायक जिला अटॉर्नी तलवंडी साबो के घर की यात्रा एक विचार के बाद की गई है। इस प्रकार, पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ अपराध किए गए पाए गए।

(9) प्रतिवादीगणओं ने जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों को नकारते हुए और उन पर विवाद करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है।पुलिस अधिकारियों का प्राथमिक रुख यह है कि गुरजंत सिंह और उनके परिवार के सदस्य।

उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस दल को डराने के लिए, खुद पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी किसी को परेशान या अपमानित किया है और उन्होंने कभी किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया है, बल्कि मृतकों में से दो गुरजंत सिंह और वीरपाल कौर को अपराधी घोषित किया गया था और पुलिस दल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने गया था।

(10) प्रत्यर्थी संख्या 7 ने अपने उत्तर में जोर देकर कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बठिंडा ने एक अतिरिक्त हलफनामे के रूप में एक विस्तृत हलफनामा **दिनांक 6/01/2011** दायर किया था, जो इस आधार पर जांच रिपोर्ट में वापस किए गए निष्कर्षों से असहमत था कि यह अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है और गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। पुलिस महानिरीक्षक, पटियाला रेंज, पटियाला के निर्देश पर फतेहगढ़ साहिब के पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) द्वारा की गई दिनांक 4/9/2008 की जांच और जिला मजिस्ट्रेट, मनसा की जांच पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।उनका कहना है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि वह एस. आई. मल्कियत सिंह की सेवानिवृत्ति पर जीत पैलेस, बठिंडा में आयोजित विदाई समारोह में भाग ले रहे थे। वह 7:45 बजे तक वहां मौजूद रहे फिर एस. आई. मल्कियत सिंह को छोड़ने के लिए उनके घर गए और बठिंडा में सहायक जिला अटॉर्नी तलवंडी साबो के घर आगे बढ़े, जिसमें एफ. आई. आर. No.45 दिनांक 29.03.2007 और एफ. आई. आर. No.33 दिनांक 23.02.2007 में चालान की जांच की गई।वह 9:15 बजे तक वहाँ रहे। एएसआई अमृतपाल सिंह-प्रतिवादी संख्या 8 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बठिंडा द्वारा गुरजंत सिंह और उनकी बेटी वीरपाल कौर को गिरफ्तार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिन्होंने पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो पहुंचने पर उन्हें अपने मोबाइल फोन पर फोन किया था और उन्हें महिला पुलिस अधिकारियों सहित एक पुलिस दल और गाँव बेहमान जस्सा सिंह वाला में छापेमारी करने के

लिए एक वाहन प्रदान करने के लिए कहा था। उनके द्वारा एम. एच. सी. और ए. एस. आई. गुरजंत सिंह-प्रत्यर्थी संख्या 9 को आवश्यक निर्देश दिए गए। तदनुसार पुलिस कर्मी प्रदान किए गए थे। उन्होंने 9 : 15 PM बजे तलवंडी साबो छोड़ा जब इस घटना के बारे में पता चला।वह पहले पुलिस स्टेशन गया और फिर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ गांव के लिए रवाना हुआ और 10:30PM बजे घटना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने रामपाल कौर और मौके पर मौजूद परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों से इनकार किया है।

(11) पक्षकारों के वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने और तत्कालीन विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, बठिंडा द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 21-11-2009 जाँच रिपोर्ट सहित उनकी सहायता से दलीलों को देखने के बाद, कोई विवाद नहीं है, 254

बल्कि यह स्वीकार किया कि गुरजंत सिंह के घर में एक घटना हुई थी, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी।

(12) पुलिस अधिकारियों यानी 7 से 15 प्रतिवादीगण द्वारा दायर किए गए जवाब खामियों से भरे हुए हैं और कई सवाल हैं, जो जवाब के लिए तरसते हैं।इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 7, जो पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी गंभीर घटना हुई थी, **रात 9:15 बजे के बाद इसकी जानकारी हुई** जब पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार, छापा मारने वाला दल **दिनांक 29.09.2007 को** लगभग

7:20PM बजे गुरजंत सिंह के घर पहुं और घटना 8 **बजे** से पहले हुई यानी 7:30 बजे 8:00 बजे के बीच **में**। प्रत्यर्थी संख्या 7 के रुख पर विश्वास करना मुश्किल है कि क्या कहा जाए, यह स्वीकार करते हुए कि ऐसी दुखद घटना होने के बावजूद, उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला और भले ही उन्हें इसके बारे में पता चला हो, वे 9:15 बजे तक वहीं रहे। इस प्रतिवादी और स्थान सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के कॉल विवरण में अनिवार्य रूप से जाना है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

(13) यह केवल एक उदाहरण है, जिसका हमने एक उदाहरण के रूप में **आदेश** में उल्लेख किया है।हम अभिवचनों के विवरण में जाने और उन पर आगे टिप्पणी करने से खुद को रोकते हैं, आदेश के आलोक में, हम वर्तमान मामले में पारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रह न हो।

(14) मृतक गुरजंत सिंह के घर में 29.02.2007 पर हुई घटना, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी, स्वीकार की जाती है। हालाँकि, यह कैसे हुआ, इसके दो अलग-अलग संस्करण हैं।एक पुलिस का और दूसरा पीड़ितों की बेटियों/बहनों और पड़ोसियों का है।ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पुलिस को अपने बयान दिए हैं और जांच के दौरान दस्तावेजी, चिकित्सा, फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिन पर आगे गौर किया जाना चाहिए क्योंकि जांच के दौरान कुछ और सबूत आए हैं जो तब उपलब्ध नहीं थे जब पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), फतेहगढ़ साहिब ने मामले की जांच की थी।सभी शंकाओं को दूर करना होगा ताकि सच्चाई की जीत हो सके।

(15) उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त दिनांक 6/7/2009 के आदेश के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 21-11-2009 की रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की जांच के लिए एक कदम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एफ. आई. आर. No.137 दिनांकित 29-9-2007 भारतीय दंड संहिता की धारा 307,353,509,186,511 और 149 के तहत पुलिस स्टेशन तलवंडी साबो।

इस घटना के बारे में, दर्ज की गई है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब द्वारा गठित एक वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल द्वारा ऊपर उल्लिखित दिनांक 21/11/2009 की रिपोर्ट के आलोक में इसमें दर्ज किए गए संस्करण की गहन जांच और आगे की जांच की जानी चाहिए।

(16) धारा 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट तैयार की जाए और जल्द से जल्द सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, लेकिन छह महीने से अधिक नहीं।

त्रिभुवन धैया

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा

और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत